/

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:एफ 9-2/2010/नियम/चार भोपाल,दिनांक 24 अप्रैल, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को दुर्घटना/चोट के कारण असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण/स्पष्टीकरण।

-❖-

राज्य के कर्मचारियों को दुर्घटना/चोट लगने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963 अंतर्गत लाभ मिलने के संबंध में राज्य वेतन आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा वांछित स्पष्टीकरण एवं संबंधित पेंशन नियम की अनुसूची-2 एवं अनुसूची-3 में दी गई उल्लेखित दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाना है:-

1. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963 केवल गैर पुलिस कर्मचारियों को लागू होगें । पुलिय कर्मचारियों को मध्यप्रदेश (पुलिस कर्मचारी वर्ग-असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम, 1965 के प्रावधान लागू रहेगें ।

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963 के नियम 9 की अनुसूची दो-चोट के अंतर्गत उच्चतर मान अर्थात चोट के परिणामस्वरूप एक से अधिक अवयवों का या एक आंख का स्थाई लोप होने की दशा में वेतन का दो तिहाई परन्तु अधिक से अधिक ₹ 5000/- तथा निम्न मान के मामलों में वेतन का एक तिहाई परन्तु अधिक से अधिक ₹ 3000/- होगा ।

3. यदि चोट का स्वरूप इस प्रकार का है कि शासकीय सेवक उसी पद अथवा किसी अन्य पद पर सेवा में निरन्तर रहता है तब इन नियमों के अंतर्गत देय असाधारण पेंशन उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक देय होगी ।

4. यदि चोट का स्वरूप ऐसा है जिसके कारण कर्मचारी को उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति की दिनांक के पहले ही सेवा से मुक्त कर दिया जाता है तो इन नियमों के अंतर्गत कर्मचारी को देय असाधारण पेंशन उसके परिवार को वर्तमान में प्रचलित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन देय परिवार पेंशन के अतिरिक्त देय होगी ।

SUNITA/Mpmta/2015

5. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963 के नियम 10 की अनुसूची तीन के अंतर्गत असाधरण परिवार पेंशन की राशि एवं सामान्य पेंशन नियमों के अंतर्गत देय परिवार पेंशन की राशि मृत शासकीय सेवक के परिवार के भरण पोषण के लिये अपेक्षित राशि से कम होना संभावित नहीं है अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963 की अनुसूची-तीन की टिप्पणी -2 के अंतर्गत राशि में वृद्धि के प्रावधान विलोपित किये जाते हैं ।

2/ ऊपर वर्णित कंडिका-2 में उल्लेखित दरें दिनांक 1-8-2012 से लागू होगीं । मध्यप्रदेश सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियम, 1963 में यथास्थान संशोधन आदेश पृथक से जारी किए जाएगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

SUNITA Pepsoo 2013

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-2/2015/नियम/चार भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/ज़िला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
27. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

Sunita 2014
http://www.finance.mp.gov.in